वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 20.12.2025 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर",अमर उजाला, दैनिक जागरण, न्यायाधीश, तरुणमित्र न्यूज़," समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

अमर उजाला–दि0 20.12.2025

मकान के लिए लैंड यूज का आवासीय होना अनिवार्य

वाराणसी। वीडीए उपाध्यक्ष पुर्ण बोरा ने विकास क्षेत्र में सम्मिलित 215 नए ग्राम के संबंध में जानकारी दी। कहा कि भूमि क्रय से पूर्व लैंड यूज अवश्य जांच लें। लैंड यूज का आवासीय होना अनिवार्य है। पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 9 मीटर होना जरूरी है। प्लॉटिंग और विक्रय केवल ले-आउट स्वीकृति के बाद ही करें। लेआउट जमा करने के बाद प्राधिकरण की ओर से 7 दिन के अंदर स्वीकृत दी जाएगी। आम जन मानस से अपील की कि वीडीए से ले-आउट स्वीकृत प्लॉट ही खरीदें। मानचित्र स्वीकृत कराए बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें, अन्यथा सख्त कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो

अमर उजाला–दि0 20.12.2025

30 बीघे की अवैध प्लॉटिंग कराई ध्वस्त

वाराणसी। वीडीए की ओर से शुक्रवार को जोन एक, जोन चार की प्रवर्तन टीम ने अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ कार्रवाई की। जेसीबी से 30 बीघे में बगैर लेआउट विकसित किए जा रहे अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त कराया गया। अब तक 200 अवैध प्लाट चिह्नित किए गए हैं।

प्लॉटिंग ध्वस्त कराती टीम। स्रोत : स्वयं

जोन 1 (वार्ड–शिवपुर) के पुरारघुनाथपुर, मस्जिद के उत्तर-पश्चिम के राकेश उपाध्याय ने 5 बीघे में अवैध प्लॉटिंग की थी। इसी प्रकार आयर बाजार से पहले गहनी, पीयूष यादव के पास रंजीत सिंह ने 5 बीघे में अवैध प्लॉटिंग की थी। दोनों स्थलों पर बिना लेआउट स्वीकृत कराए अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी। जिस पर सूचना देने के बाद ही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। जोन 4 (वार्ड–नगवां) के बेटावर (प्राथमिक स्कूल के पास) में दुर्गा प्रसाद तिवारी, अजय मिश्रा, नागेंद्र व अन्य की ओर से 20 बीघे में बिना स्वीकृत लेआउट के अवैध प्लॉटिंग विकसित की जा रही थी। जिसे ध्वस्त कराया गया। मौके पर अपर सचिव डॉ. गुडाकेश शर्मा, सहायक नगर नियोजक सौरभ जोशी, जोनल अधिकारी शिवाजी मिश्रा मौजूद रहे। ब्यूरो

दैनिक जागरण–दि0 20.12.2025

वीडीए ने बुलडोजर से तोड़ी 30 बीघा अवैध प्लाटिंग

- वीडीए उपाध्यक्ष ने जोनल अधिकारी से डेवलपर्स के खिलाफ मांगी रिपोर्ट
- चेतावनी के बाद भी मनमाने तरीके से विकसित करते रहे कालोनी

जागरण संवाददाता, वाराणसी : विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष पुर्ण बोरा के निर्देश पर शुक्रवार को अवैध तरीके से जमीन की प्लाटिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई।

जोन एक और चार में वीडीए का बुलडोजर गरजा और 30 बीघा में अवैध कालोनी की बाउंड्री को तोड़ दिया गया। इस दौरान कुछ लोगों ने अवैध प्लाटिंग तोड़ने का विरोध करना चाहा लेकिन वीडीए कर्मियों और पुलिस ने उन्हें भगा दिया। वीडीए उपाध्यक्ष ने जोनल अधिकारी से डेवलपर्स के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए रिपोर्ट मांगी है। जोन के एक के जोनल अधिकारी शिवाजी मिश्रा ने बताया कि शिवपुर वार्ड के रघुनाथपुर, मस्जिद के पास राकेश उपाध्याय पांच बीघा और आयर बाजार से पहले गहनी में रंजीत सिंह भी पांच बीघा में अवैध तरीके से जमीन की प्लाटिंग कर रहे थे। दोनों स्थानों पर अवैध तरीके से जमीन की प्लाटिंग होने डेवलपर्स को चेतावनी दी गई थी, फिर भी अवैध प्लाटिंग होती रही।

जोन चार के जोनल अधिकारी संजीव कुमार ने बताया कि नगवां वार्ड के बेटावर (प्राथमिक स्कूल के पास) में दुर्गा प्रसाद तिवारी, अजय मिश्रा और नागेन्द्र समेत अन्य लोग 20 बीघा में अवैध तरीके से जमीन की प्लाटिंग कर रहे थे। बुलडोजर से सभी बाउंड्री को तोड़ने के साथ डेवलपर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।

न्यायाधीश–दि0 20.12.2025

अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध वीडीए ने सख्त कार्रवाई करते हुए कुल 30 बीघा क्षेत्रफल में की ध्वस्तीकरण की कार्यवाही

वाराणसी। उपाध्यक्ष वाविप्रा द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी के जोन-1, जोन- 4 की प्रवर्तन टीम द्वारा अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करते हुए कुल 30 बीघा क्षेत्रफल में ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सम्पादित की गई। वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा प्राधिकरण क्षेत्र के अंतर्गत 200 अवैध प्लाट चिन्हित किया गया है जिसपर प्राधिकरण द्वारा कार्यवाही की जाएगी। कार्यवाही का विवरण मौजा-पुरारघुनाथपुर, मस्जिद के उत्तर-पश्चिम के राकेश उपाध्याय व्यक्ति द्वारा लगभग 05 बीघा में अवैध प्लाटिंग। मौजा-आयर बाजार से पहले गहनी, पियुष यादव के पास रंजीत सिंह द्वारा लगभग 05 बीघा में अवैध प्लाटिंग। उक्त दोनों स्थलों पर बिना लेआउट स्वीकृत कराए अवैध प्लाटिंग विकसित की जा रही थी, जिस पर दिनांक 19/12/2025 को उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धारा-27 के तहत सूचना (=ञ्छळर्ईंऊ) करने के बाद ही ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सम्पादित किया गया। मौजा-बेटावर (प्राथमिक स्कूल के पास) में दुर्गा प्रसाद तिवारी, श्री अजय मिश्रा व नागेन्द्र अन्य द्वारा लगभग 20 बीघा में बिना स्वीकृत लेआउट के अवैध प्लाटिंग विकसित की जा रही थी, जिस पर दिनांक 19/12/2025 को धारा-27 के तहत सूचना (=ञ्छळर्ईंऊ) करने के बाद ही ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सम्पादित किया गया। मौके पर अपर सचिव डॉ. गुडाकेश शर्मा, सहायक नगर नियोजक श्री सौरभ जोशी, जोनल अधिकारी श्री शिवाजी मिश्रा, श्री संजीव कुमार, अवर अभियंता श्री रोहित, आदर्श निराला उपस्थित रहे। उपाध्यक्ष द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से ले-आउट स्वीकृत प्लॉट ही खरीदें तथा मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।

न्यायाधीश–दि0 20.12.2025

'वी0डी0ए0 ला रहा लैंड पूलिंग स्कीम 5.10 गुना हो सकता है फ़ायदा'

वाराणसी ।वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा लैंड पूलिंग स्कीम को लेकर उपाध्यक्ष श्री पूर्ण बोरा की अध्यक्षता में प्राधिकरण क्षेत्र के सभी डेवलपर्स के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक का 'उद्देश्य वाराणसी में नियोजितए संतुलितए दीर्घकालिक एवं सेक्टर आधारित फास्ट.ट्रैक शहरी विकास की रूपरेखा से अवगत कराना था।'बैठक में उपाध्यक्ष महोदय ने कहा कि वर्तमान में शहर के विभिन्न क्षेत्रों में अनियोजित ;हैफेज़र्डद्ध विकास एवं अत्यधिक भूमि विखंडन ;फ्रैगमेंटेशनद्ध के कारण भविष्य में आधारभूत सुविधाओंए यातायात एवं नागरिक सुविधाओं से संबंधित गंभीर समस्याएँ उत्पन्न हो सकती है। इन समस्याओं से बचने तथा शहर को सुव्यवस्थित रूप से विकसित करने हेतु वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा नियोजित टाउनशिप प्लानिंग एवं लैंड पूलिंग स्कीम लाई जा रही है।उपाध्यक्ष ने बताया कि 'यह परियोजना लखनऊ की आईटी सिटी एवं वेलनेस सिटी में लागू लैंड पूलिंग कॉन्सेप्ट के आधार पर प्रस्तावित की गई हैएजिसमें भूमि अधिग्रहण की तुलना में संबंधित हितधारकों को लगभग 50द्100 प्रतिशत तक अधिक लाभ प्राप्त होता है।''

तरूणमित्र न्यूज–दि0 20.12.2025

वीडीए ला रहा लैंड पूलिंग स्कीम, पांच से 10 गुना हो सकता है फ़ायदा : वीसी पुर्ण बोरा

ये योजन किसान, डेवलपर्स एवं प्राधिकरण तीनों की सहभागिता से लागू किया जाएगा

तरुणमित्र न्यूज

वाराणसी। वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा लैंड पूलिंग स्कीम को लेकर उपाध्यक्ष पूर्ण बोरा की अध्यक्षता में शुक्रवार को प्राधिकरण क्षेत्र के सभी डेवलपर्स के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। जिसका उद्देश्य वाराणसी में नियोजित, संतुलित, दीर्घकालिक एवं सेक्टर आधारित फास्ट-ट्रैक शहरी विकास की रूपरेखा से अवगत कराना था। बैठक में उपाध्यक्ष ने कहा कि वर्तमान में शहर के विभिन्न क्षेत्रों में अनियोजित (हैफेज़र्ड) विकास एवं अत्यधिक भूमि विखंडन (फ्रैगमेंटेशन) के कारण भविष्य में आधारभूत सुविधाओं, यातायात एवं नागरिक सुविधाओं से संबंधित गंभीर समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं। इन समस्याओं से बचने तथा शहर को सुव्यवस्थित रूप से विकसित करने हेतु वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा नियोजित टाउनशिप प्लानिंग एवं लैंड पूलिंग स्कीम लाई जा रही है।

वीडीए उपाध्यक्ष पुर्ण बोरा ने बताया कि यह परियोजना लखनऊ की आईटी सिटी एवं वेलनेस सिटी में लागू लैंड पूलिंग कॉन्सेप्ट के आधार पर प्रस्तावित की गई है,जिसमें भूमि अधिग्रहण की तुलना में संबंधित हितधारकों को लगभग 50-100 प्रतिशत तक अधिक लाभ प्राप्त होता है। लखनऊ मॉडल के अनुरूप ही

वीसी पुर्ण बोरा

वाराणसी के लिए लैंड पूलिंग योजना की मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) शीघ्र ही जारी की जाएगी।उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि प्रस्तावित टाउनशिप योजना के अंतर्गत सेक्टर आधारित विकास किया जाएगा, जिससे आधारभूत सुविधाओं का सुनियोजित प्रावधान सुनिश्चित हो सके तथा फास्ट-ट्रैक विकास संभव हो। इस योजना को किसानों, डेवलपर्स एवं प्राधिकरण—तीनों की सहभागिता से लागू किया जाएगा। लैंड पूलिंग की प्रक्रिया किसी पर भी बलपूर्वक लागू नहीं की जाएगी, बल्कि यह पूर्णत: सहमति एवं सहभागिता के आधार पर होगी।

उपाध्यक्ष ने बताया कि वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा लैंड पूलिंग के अंतर्गत दो मॉडल प्रस्तावित किए गए हैं जिसमे विकसित भूमि मॉडल में कुल भूमि क्षेत्र का सम्पूर्ण विकास प्राधिकरण द्वारा कराया जाएगा तथा विकसित भूमि का 25-30 प्रतिशत भाग संबंधित डेवलपर/किसान को लौटाया जाएगा। इस मॉडल में किसी भी प्रकार का विकास शुल्क नहीं लिया जाएगा।दूसरे मॉडल में कुल भूमि क्षेत्र का आंशिक (सेमी) विकास कर 50 प्रतिशत विकसित भूमि डेवलपर/किसान को प्रदान की जाएगी। लखनऊ मॉडल के अनुरूप यह योजना न्यूनतम 10 एकड़ या उससे अधिक भूमि वाले भू-स्वामियों के लिए लागू होगी। उपाध्यक्ष ने कहा कि प्रस्तावित टाउनशिप योजनाओं के अंतर्गत पूरे शहर को चरणबद्ध एवं सेक्टर आधारित रूप से विकसित किया जाएगा, जिसमें सड़क, सीवर, जलापूर्ति, हरित क्षेत्र, पार्क, सामुदायिक सुविधाएं सहित सभी आवश्यक आधुनिक सुविधाएँ (Amenities) उपलब्ध कराई जाएँगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस योजना में प्लॉटर्स एवं रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े व्यक्ति/संस्थाएँ भी सहभागिता कर सकती हैं, जिससे योजनाबद्ध विकास को गति मिलेगी और सभी हितधारकों को समान लाभ प्राप्त हो सकेगा। योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी एवं मार्गदर्शन हेतु इच्छुक किसान, डेवलपर्स एवं प्लॉटर्स प्रात: 10:00 बजे से 12:00 बजे तक वाराणसी विकास प्राधिकरण में वीडीए उपाध्यक्ष से मिल सकते हैं अथवा अपर सचिव से भी वार्ता कर सकते हैं।